

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 88/2018 (Bank Case)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, RASMEC KOTA जयें प्राधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबन्धक RASMEC KOTA

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

1. श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री नौरतमल अग्रवाल, पता- मकान नम्बर 18-19, मारुति कॉलोनी, नयापुरा, कोटा (राज.) - (ऋणी)
2. श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री नौरतमल अग्रवाल पता- मकान नम्बर 18-19, मारुति कॉलोनी, नयापुरा, कोटा (राज.) - (ऋणी)
3. श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री नौरतमल अग्रवाल पता- मकान नम्बर 18-19, मारुति कॉलोनी, नयापुरा, कोटा (राज.) - (ऋणी)
4. श्री नौरतमल अग्रवाल पुत्र श्री बिरधीचन्द अग्रवाल पता- मकान नम्बर 18-19, मारुति कॉलोनी, नयापुरा, कोटा (राज.) - (जमानतदार)

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरीटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री बी.पी. दाधिच, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 06.08.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, RASMEC KOTA में स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबन्धक RASMEC KOTA है । अप्रार्थी नं० 1 लगायत 3 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 02.02.2015 को 36,45,000/- (अक्षरे: छत्तीस लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र) का ऋण जरिये खाता संख्या 61257917292 लिया था । अप्रार्थी नं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 18-19 पर निर्मित दौ मंजिला मकान वाके मारुति कॉलोनी, गोपाल निवास बाग के पास, नयापुरा कोटा जिसका क्षेत्रफल 1950 वर्गफीट है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2013 से अप्रार्थीया सं० 1 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री नौरतमल अग्रवाल, के नाम है । जिसकी चर्तु: सीमाएं- पूरब में-रोड़, पश्चिम में- प्लॉट नं० 10 व 11, उत्तर में- रोड़, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 20 है । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था । अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 29,13,273 (अक्षरे रूपये उन्तीस लाख, तैरह हजार, दौ सौ, तिहत्तर मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.04.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.05.2019 को रजिस्टर्ड डक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने

जिला कलेक्टर
कोटा

मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 01.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फेरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० 18-19 पर निर्मित दौ मंजिला मकान वाके मारुति कॉलोनी, गोपाल निवास बाग के पास, नयापुरा कोटा जिसका क्षेत्रफल 1950 वर्गफीट है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2013 से अप्रार्थीया सं० 1 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री नौरतमंल अग्रवाल, के नाम है । जिसकी चर्तुः सीमाएं- पूरब में-रोड़, पश्चिम में- प्लॉट नं० 10 व 11, उत्तर में- रोड़, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 20 है । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हरब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे । आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा